



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1860]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2011/आश्विन 6, 1933

No. 1860]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2011/ASVINA 6, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2011

का.आ. 2247(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग की सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट सैक्शन के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट भूखंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग, सं.	सैक्शन	विस्तार किलोमीटर में
(1)	(2)	(3)
95	पंजाब राज्य में लुधियाना-तलवंडी	92.000 कि.मी. से 170.000 कि.मी. तक
11	राजस्थान राज्य में रींगुस से सीकर	माधोपुरा जंक्शन के समीप 298.075 कि.मी. (रींगुस) से 341.047 कि.मी. (सीकर) तक
12	राजस्थान राज्य में कोटा से दाराह	256.550 कि.मी. (कोटा) से 289.560 कि.मी. (दाराह) तक

[फा. सं. एनएच-14013/8/2011-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi the 28th September, 2011

S.O. 2247(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches, as specified in column (3) of the following Table, of the Section as specified in the corresponding entry in column (2) of the Table, of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the Table, to the National Highways Authority of India, namely :—

TABLE

National Highway No.	Section	Stretches in kilometres
(1)	(2)	(3)
95	Ludhiana-Talwandi in the State of Punjab	From Km. 92.000 to Km. 170.000
11	Reengus to Sikar in the State of Rajasthan	From Km. 298.075 (Reengus) near Madhopura Junction to Km. 341.047 (Sikar)
12	Kota to Darah in the State of Rajasthan	From Km. 256.550 (Kota) to Km. 289.560 (Darah)

[F. No. NH-14013/8/2011-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2011

का.आ. 2248(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 20 तथा 21 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

20	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 [212.200 कि.मी. से 387.100 कि.मी. (हरियाणा/पंजाब सीमा से जालंधर को छोड़कर] और 407.100 कि.मी. से 491.330 कि.मी. (जालंधर-अमृतसर-वागाह सीमा)] सं. 10, सं. 15 [6.082 कि.मी. से 108.502 कि.मी. (पठानकोट-अमृतसर खंड) को छोड़कर] सं. 20, सं. 21 [0.000 कि.मी. से 0.870 कि.मी. और 28.600 कि.मी. से 73.200 कि.मी. (कुराली-किरंतपुर को छोड़कर)] सं. 22 [10.890 कि.मी. से 39.960 कि.मी. और 39.860 कि.मी. से 41.945 कि.मी. (जिरकपुर-पंजाब/हरियाणा सीमा तक)] सं. 64 से 70 तथा सं. 71 जो पंजाब राज्य में स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 95 [92.000 कि.मी. से 170.000 कि.मी. तक छोड़कर (लुधियाना-तलवंडी)]।	पंजाब राज्य सरकार
21	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 [364.000 कि.मी. से 396.000 कि.मी. तक (किशनगढ़ से अजमेर तक) और (0.000 कि.मी. से 59.000 कि.मी. तक और 263.500 कि.मी. से 388.000 कि.मी. तक) (अजमेर-उदयपुर सेक्शन)] सं. 11 [42.525 कि.मी. से 228.000 कि.मी. तक (उ.प्र./राजस्थान सीमा-भरतपुर-महुआ-जयपुर) और 246.200 कि.मी. से 341.047 कि.मी. तक (जयपुर-रींगस-सीकर)] सं. 11क, सं. 11ख, सं. 11ग, सं. 12 [रा.रा. 76 (जयपुर-टोंक-देवली-कोटा) पर बाईपास कोटा जंक्शन तक 18.700 कि.मी. से 165.000 कि.मी. तक छोड़कर और 256.550 कि.मी. से 289.560 कि.मी. तक (कोटा से दाराह)] सं. 14 [0.000 कि.मी. से 244.000 कि.मी. को छोड़कर (विवर-पाली-पिंडवाड़ा) और 246.800 कि.मी. से 306.000 कि.मी. तक (पिंडवाड़ा-राजस्थान/गुजरात सीमा खंड)], सं. 15, सं. 65, सं. 71ख, सं. 79 (नसीराबाद से चित्तौड़गढ़ खंड को छोड़कर) सं. 89, सं. 90, सं. 112, सं. 113, सं. 114 और सं. 116 जो राजस्थान राज्य के भीतर स्थित है।	राजस्थान राज्य सरकार।”

[फा. सं. एन एच-14013/8/2011-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण.—मूल नियम संख्यांक का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा सं. का.आ. 314(अ), तारीख 10 फरवरी, 2011 द्वारा अंतिम बार संशोधन किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi the 28th September, 2011

S.O. 2248(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the said notification, in the Schedule, for serial numbers 20 and 21 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“20	So much of National Highways No. 1 [excluding from Km. 212.000 to Km. 387.100 (Haryana/Punjab Border to Jalandhar) and from Km. 407.100 to Km. 491.330 (Jalandhar-Amritsar-Wagah Border)], No. 10, No. 15 [excluding from Km. 6.082 to Km. 108.502 (Pathankot-Amritsar section)], No. 20, No. 21 [excluding from Km. 0.000 to Km. 0.870 and from Km. 28.600 to Km. 73.200 (Kuruli-Kiratpur)], No. 22 [excluding from Km. 10.890 to Km. 39.960 and from Km. 39.860 to Km. 41.945 (Zirakpur-Punjab/Haryana Border)], No. 64, No. 70, No. 71, and No. 95 [excluding from km. 92 to 170.000 (Ludhina Talwandi)] as are situated within the State of Punjab.	State Government of Punjab
21	So much of National Highways No. 8 [excluding from Km. 364.000 to Km. 396.000 (Kishangarh to Ajmer section) and from Km. 0.000 to Km. 59.000 and from Km. 263.500 to Km. 388.000 (Ajmer-Udaipur section)], No. 11 [excluding from Km. 42.525 to Km. 228.000 (UP/Rajasthan Border-Bharatpur-Mahua-Jaipur) and from Km. 246.200 to Km. 341.047 (Jaipur-Reengus-Sikar)], No. 11A, No. 11B, No. 11C, No. 12 [excluding from Km. 18.700 to Km. 165.000 to Junction of Kota by pass on NH-76 (Jaipur-Tonk-Deoli-Kota) and from Km. 256.550 to Km. 289.560 (Kota to Darah)], No. 14 [excluding from Km. 0.000 to Km. 244.000 (Beawar-Pali-Pindwara) and from Km. 246.800 to Km. 306.000 (Pindwara-Rajasthan/Gujarat Border section)], No. 15, No. 65, No. 71B, No. 79 (excluding from section Nasirabad to Chittorgarh), No. 89, No. 90, No. 112, No. 113, No. 114 and No. 116 as are situated within the State of Rajasthan.	State Government of Rajasthan.”

[F. No. NH-14013/8/2011-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note.—The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 314(E), dated the 10th February, 2011.